163

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 38—दो/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29—09—2007 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार परगना, जिला—श्योपुर, के प्रकरण क्रमांक 09/2006—07/अ—6

.....

1— ओमप्रकाश पुत्र नरोत्तम गुर्जर,
2— गायत्री पुत्री श्री नरोत्तम गुर्जर,
निवासीगण— ग्राम फतेहपुर, तहसील—श्योपुर
जिला—श्योपुर (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— नूरजहां पुत्री सोडू,
निवासिन— ग्राम नयापुरा तहसील व
जिला—श्योपुर (म0प्र0)

..... अनावेदिका

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ए0के0 अग्रवाल एवं श्री एस0एम0 भान, अभिभाषक, अनावेदिका

.....

आदेश
(आज दिनांक 18-11-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार परगना, जिला—श्योपुर म0प्र0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—09—2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मयापुर की विवादित भूमि सर्वे क्र0 231/8 रकबा 15 बीघा का पट्टा उसे 40—45 वर्ष पहले मिला था। जिसे अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा अपील में निरस्त किया गया, किन्तु अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को खारिज कर दिया गया । किन्तु लिपकीय त्रुटिवश 231/8 के स्थान पर 231/6 अंकित हो गया । इस त्रुटि के सुधार हेतु कलेक्टर के समक्ष आवेदन पेश करने पर उनके द्वारा आवेदन स्वीकार किया गया । परन्तु उक्त सर्वे नम्बर पर किये गये पट्टों के

तहसीलदार द्वारा दिनांक 27.07.2000 को निरस्त किया गया। इसी कारणवश अनावेदिका द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार अनावेदिका का नाम सर्वे क्रमांक 231/8 में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर तहसीलदार परगना द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/2006–07/अ–6 पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 29–09–2007 द्वारा अनावेदिका नूरजहां के हित में भूमि सर्वे क्र0 231/8 रकबा 15 बीघा पर संवत 2051 के अनुसार नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 110 के अधीन बने नियम 27 का पालन नहीं किया गया है। प्रकरण में न तो विधिवत उद्घोषणा का प्रकाशन ही कराया गया और न ही हित रखने वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत सूचना ही दी गई । यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदकगण को अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाया गया है, किन्तु उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा न केवल विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से अपितु प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के भी विपरीत है। जब अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30.03.2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी विचाराधीन है तब आज्ञा दिनांक 30.03.07 के आधार पर आदेश पारित किया है। जबकि विवादित भूमि के सम्बंध में वरिष्ठ न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तब कनिष्ठ न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाना न्यायोचित नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदकगण पक्षकार थे, किन्तु उन्हें न तो कोई नोटिस ही दिया गया और न ही उन्हें विधिवत आदेश संसूचित ही किया गया। ऐसी स्थिति में नकल मिलने से जानकारी दिनांक से वर्तमान निगरानी ससयावधि में प्रस्तुत की जा रही है। यदि किसी कारणवश वर्तमान निगरानी श्रवण किये जाने में कोई विधिक बाधा हो तब अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अधिकार रहित होकर शून्य एवं निष्प्रभावी होने के कारण इस न्यायालय को प्राप्त स्वमेव निगरानी के अधिकारों एवं धारा 8 के अधीन प्राप्त पर्यवेक्षीय शक्तियों का प्रयोग कर विवादित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

4/ अनावेदिका के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम मयापुर की वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 231/8 रकबा 15 बीघा जो मूल रूप से अनावेदिका नूरजहां पुत्री सोडू के नाम सं संवत 2051 तक भूदान, भूमिस्वामी के रूप में चली आ रही थी, तथा संबत 2052 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से शासकीय हो गई। किन्तु यह आदेश भी अपर कलेक्टर, श्योपुर के उक्त आदेश से निरंस्त हो गया, किन्तु उक्त आदेश में लिपिकीय त्रुटि होने से भूमि की स्थिति पूर्वानुसार बहाल न होकर शासकीय हो गई, जिसके कारण तत्कालीन तहसीलदार द्वारा अन्य व्यक्तियों को पट्टा कर दिया गया। न्यायालय कलेक्टर श्योपुर के प्र0क्र0 38/05–06/बी–121 से न सिर्फ न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा की गयी लिपकीय त्रुटि को ठीक किया गया, बल्कि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा किए गए पट्टे को भी निरस्त किया । इसी आधार पर अपर आयुक्त न्यायालय, चम्बल संभाग मुरैना द्वारा कलेक्टर के इस आदेश को यथावत रखा गया । इसलिये सर्वे क्रमांक 231/8 ग्राम मयापुर की रजिस्ट्री अनुविभागीय अधिकारी, द्वारा संवत 2052 में किए गए पट्टा निरस्ती आदेश के पूर्व की स्थिति बहाल हो जाती है। उपरोक्तानुसार विभिन्न राजस्व न्यायालय के आदेश के पालन में तहसीलदार, श्योपुर द्वारा ग्राम मयापुर की भूमि सर्वे क्रमांक 231/8 रकबा 15 वीघा पर अनावेदिका नूरजहां पुत्री सोडू, निवासी ग्राम मयापुर के नाम संवत 2051 के अनुसार अमल किया जाने का आदेश दिया गया।

6/ अतः ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि तहसीलदार, श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 09/2006–07/अ–6 में पारित आदेश 29.09.2007 विधिसंगत है । उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अत तहसीलदार, श्योपुर का आदेश स्थिर रखते हुये आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर